## मूल वाद मे डिक्री
### (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
## न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी
पीठासीन अधिकारीः— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

**वादीगण**

1. जूंजाराम पुत्र भगाराम
2. श्रवणकुमार पुत्र जुंझाराम जातियान मेघवाल निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. चैनाराम पुत्र खेराजराम
2. कंवराराम पुत्र केसाराम
3. पेपोंदेवी पत्नि केसाराम
4. हड़मानराम पुत्र केसाराम
5. चुनीदेवी पुत्री मेहराराम जातियान मेघवाल निवासी सरेली की ढाणी, डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूंका भगतसिंह
7. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः—,53.188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :— 25 / 2023
निर्णय दिनांक :—12.07.2024

वादीगण की ओर से **श्री पाबूराम बेनीवाल** अधिवक्ता एवं राज. पैरोकर की उपस्थिति व शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.07.2024 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः—** वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 12.07.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 12.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

**वाद के खर्चे**

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4...........रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय<br>6.कमिश्नर की फीस<br>7.आदेशिका की तामिल | | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>2.अर्जी के लिए स्टाम्प<br>3.प्लीडर की फीस<br>4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>5.आदेशिका की तामील<br>6.कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :— 25 / 2023

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1.जूंजाराम पुत्र भगाराम<br>2.श्रवणकुमार पुत्र जुंझाराम जातियान मेघवाल निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर | | 1.चैनाराम पुत्र खेराजराम<br>2.कंवराराम पुत्र केसाराम<br>3.पेपोंदेवी पत्नि केसाराम<br>4.हडमानराम पुत्र केसाराम<br>5.चुनीदेवी पुत्री मेहराराम जातियान मेघवाल निवासी सरेली की ढाणी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर<br>6.शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाख भूंका भगतसिंह<br>7.तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति–**

1 श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. प्रतिवादीगण एकतरफा व प्रतिवादी सं. 7 के पैरोकार उप.।.

## निर्णय

दिनांक– 12.0[illegible].2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 531 रकबा 36.1785 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 23.05.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 531 रकबा 36.1785 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

| क्र. सं. | नाम खातेदार | खसरा नं. | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जूंजाराम पुत्र भगाराम 1118/1863 श्रवण कुमार पुत्र जुंजाराम 745/1863 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूंका भगतसिंह | 531 | 15.0743 | बा.सो. | – | लाल |
| 2 | कंवराराम पुत्र केसाराम 373/2609 हड़मानराम पुत्र केसाराम 373/2609 पेंपोदेवी पत्नि केसाराम 373/2609 चुनीदेवी पुत्री मेहराराम 373/2609 चैनाराम पुत्र खेराजराम 1118/2609 जाति मेगवाल सा.देह खातेदार रहन– कंवरराम पेंपोदेवी का हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूंका भगतसिंह | 531 | 16.4120 | बा.सो. | – | हरा |
| | | 531 | 4.6922 | बा.सो. | – | हरा |
| | | **2** | **21.1042** | **बा.सो.** | **–** | |

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

**सहायक कलक्टर**
**(एस.डी.ओ.)सिणधरी**

निर्णय आज दिनांक 12.0[illegible].2024 को लिखा जाकर खुले कार्यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:18 IST
Reason: SelfAttested

**सहायक कलक्टर**
**(एस.डी.ओ.)सिणधरी**